संलग्नक -1

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य योजना आयोग-1

(नियोजन विभाग)

संख्या: 1/1(1)/79-51/रा.यो.आ./79

लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 1979

कार्यालय-ज्ञाप

नियोजन अनुभाग-5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 5295/35-5-76/16/ एस/72-122 दिनांक 10 नवम्बर, 1976 के प्रस्तर-4 के क्रम में राज्यपाल महोदय दिसम्बर, 1978 से राज्य योजना आयोग के गैर सरकारी सदस्यों को, योजना आयोग से संबंधित किसी निरिक्षत विकास कार्य से प्रदेश के किसी भी स्थान की यात्रा करने पर यात्रा-भत्ता एवं मानदेय उसी दर से दिए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं जिस दर से उन्हें आयोग की बैठकों में भाग लेने के लिए उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10 नवम्बर, 1976 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1983/35-5-77 दिनांक 28 मई, 1977 के अन्तर्गत अनुमन्य है।

2- कार्य के संबंध में नियोजन सचिव यह प्रमाणित करेंगे कि निरिक्षत विकास कार्य क्या था जिसके लिए संबंधित सदस्य ने दौरा किया था।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "296 - सचिवालय आर्थिक सेवायें-क-आयोजन आयोग/आयोजना परिषद-उत्तर प्रदेश में नियोजन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण तथा आयोजना आयोग की स्थापना" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त विभाग की सहमति से, जो उनके अशासकीय संख्या-ई.5/1441/दस, दिनांक 28 जुलाई, 1979 में प्राप्त हुई है, से निर्गत किये जा रहे हैं।

ह./- आनन्द स्वरूप

सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ
2- राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष तथा समस्त सदस्य
3- समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
4- सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त व्यय नियंत्रण/अनुभाग-5/ वित्त सामान्य अनुभाग-4
6- नियोजन सचिव शाखा के समस्त अनुभाग
7- लेखाकार, नियोजन अनुभाग-2

आज्ञा से

ह./-के. एन. सक्सेना

अनु सचिव।